



Neutral Citation No. – 2026:AHC: 67865

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –

10167 वर्ष 2025

मुकेश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : रोहित शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 519 वर्ष 2025, धारा 191, 191(2), 190, 110, 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस., थाना-कोतवाली, जिला-मथुरा में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि उसे उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 11.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री चंद्रशेखर सरन को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन वाद अपराध संख्या 519 वर्ष 2025, धारा 191, 191(2), 190, 110, 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जिला मथुरा में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. प्रारंभ में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि उन्हें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

4. दूसरी ओर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उपर्युक्त मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को मारपीट करने की कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को प्रथम सूचनाकर्ता को धमकाने तथा उसकी ओर देशी तमंचा तानने की भूमिका सौंपी गई है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। कहा गया है कि यदि आवेदक को

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. यह कहा जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की उपर्युक्त दलीलों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक-**मुकेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.01.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त निर्धारित तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और अंतरिम अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

8. इस मामले को दिनांक 19.01.2026 को नवीन वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

9. इस बीच, विद्वान ए.जी.ए. मामले में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।"

4. आज जब मामला पुकारा गया, तो विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें मामले में निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 11.12.2025 में दर्ज की गई दलीलों को दोहराया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 11.12.2025 से अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और उसने उसकी शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया। हालांकि, वह इस तथ्य से विवाद नहीं कर सके कि आवेदक ने उसे प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य से भी विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।
8. यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, किंतु उसे घायल व्यक्ति के साथ मारपीट करने की भूमिका नहीं सौंपी गई है। अंतरिम अग्रिम जमानत पर चल रहा आवेदक इसके उल्लंघन का दोषी नहीं बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम दृष्ट्या, पक्षकारों के मध्य संपत्ति संबंधी विवाद प्रतीत होता है, जिसके कारण आवेदक को वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया हो सकता है।
9. मामले के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, मैं आवेदक को दिनांक 11.12.2025 के आदेश द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूं।
10. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
11. आवेदक-**मुकेश** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त वाद अपराध में दिनांक 11.12.2025 के आदेश में उल्लिखित उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 मार्च, 2026

सचिन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”